

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Education/Siksha Mantralaya
Department of Higher Education/Uchcharat Siksha Vibhag
(ICR Division)

Shastri Bhavan, New Delhi
Dated: 30th July, 2025

NOTIFICATION

No.10-9/2025-U.3(A): Whereas, Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu submitted an online application on the UGC Portal to start an off-campus centre at Jagjeetpur, Kankhal, Haridwar, Uttarakhand as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023.

2. **And whereas,** UGC, vide its letter No.40-4/2025 (CPP-I/DU) dated 17.06.2025, informed that the application was examined through a Standing Committee. The Committee, after presentation of the Institution and based on the documents submitted, recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu with certain conditions.

3. **And whereas,** in exercise of the powers conferred by Clause 8 (6) of UGC Regulations, 2023, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) to Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu with condition that the Institution deemed to be University shall submit valid proof of purchase of required furniture, books, computers equipment etc. as per the student intake within a period of 3 years before starting an off-campus at Jagjeetpur, Kankhal, Haridwar, Uttarakhand.

4. **And further whereas,** the Registrar, Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu, vide letter dated 04.07.2025, submitted compliance report in respect of fulfilment of the conditions of the LoI which was then sent to UGC for verification and advice. UGC, vide letter No. 40-4/2025 (CPP-I/DU) dated 18.07.2025, conveyed that the compliance report was accepted by the Standing Committee.

5. **Now, therefore,** in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu to start an off-campus centre at Jagjeetpur, Kankhal, Haridwar, Uttarakhand.

6. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to

प्रति

time, shall continue to be adhered by Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu.

पुनिकव नजो

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 3432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi - 110002

Copy forwarded to:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
2. The Vice-Chancellor, Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu.
3. The Secretary, Department of Higher & Technical Education, Government of Tamil Nadu.
4. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
5. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
6. The Member Secretary, All India Council for Technical Education, Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
7. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
8. Guard file / Notification file.


(Jyoti Ranjan)

Under Secretary to the Government of India
Telephone No.23381578

(भारत के राजपत्र भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
(आईसीआर प्रभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 30 जुलाई, 2025

अधिसूचना

सं.10-9/2025-यू.3(ए): जबकि, अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयंबटूर, तमिलनाडु ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार, जगतीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड में एक ऑफ-कैंपस केंद्र प्रारंभ करने हेतु यूजीसी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया।

2. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 17.06.2025 के अपने पत्र संख्या 40-4/2025 (सीपीपी-1/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि स्थायी समिति द्वारा आवेदन की जाँच की गई। संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर, समिति ने कुछ शर्तों के साथ अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयंबटूर, तमिलनाडु को आशय पत्र [एलओआई] जारी करने की अनुशंसा की।

3. और जबकि, यूजीसी विनियम, 2023 के खंड 8 (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयंबटूर, तमिलनाडु को इस शर्त पर आशय पत्र (एलओएल) जारी किया कि सम विश्वविद्यालय संस्थान, जगतीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड में ऑफ-कैंपस शुरू करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर छात्र की संख्या के अनुसार आवश्यक फर्नीचर, पुस्तकें, कंप्यूटर उपकरण आदि की खरीद का वैध प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

4. और आगे, जबकि, रजिस्ट्रार, अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयंबटूर, तमिलनाडु ने दिनांक 04.07.2025 के पत्र द्वारा आशय पत्र की शर्तों की पूर्ति के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे सत्यापन और सलाह हेतु यूजीसी को प्रेषित किया गया। यूजीसी ने दिनांक 18.07.2025 के पत्र संख्या 40-4/2025 (सीपीपी-1/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि स्थायी समिति द्वारा अनुपालन रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई।

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, एदतद्वारा यूजीसी की सलाह पर, अमृता विश्व विद्यापीठम (सम

प्रतिक्रिया

विश्वविद्यालय), कोयंबटूर, तमिलनाडु को जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने का अनुमोदन प्रदान करता है।

6. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचनाओं तथा समय-समय पर जारी यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों का अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयम्बटूर, तमिलनाडु द्वारा पालन किया जाना जारी रहेगा।

पू.कि.ब.व.नं.

(पूर्णदु किशोर बनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: +91 11 2338 3432

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिटों रोड, नई दिल्ली - 110002

प्रति प्रेषित:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली।
2. कुलपति, अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयंबटूर, तमिलनाडु।
3. सचिव, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, तमिलनाडु सरकार।
4. प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2।
6. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070।
7. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस इकाई को विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर अधिसूचना प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाए।
8. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।

रंजन

(ज्योति रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: +91 11 2338 1578